राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 695/2025

मीरा कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जरीला, ब्लॉक रूपावास, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, उप राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.12.2024 को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को लेवल 1 के पद पर नियुक्ति दी गई जबकि अपीलार्थी लेवल 2 संस्कृत का पद धारण कर रहा है और प्रत्यर्थी विभाग ने बिना काउंसलिंग किए और साथ ही बिना रिक्त पद दिखाए अपीलार्थी का ब्लॉक बदल दिया है। अपीलार्थी का नाम एस. संख्या 35 पर रखा गया था जिसके द्वारा उसे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जरेला, ब्लॉक रूपवास, जिला भरतपुर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला कचेरा, रूपवास, भरतपुर में लेवल 1 के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की पूर्व सहमति के बिना ही आपत्तिजनक आदेश पारित कर दिया क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद की गई थी और इसलिए यह आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का उल्लंघन करते हुए इस बात पर विचार किए बिना पारित किया गया और उसके अनुसरण में अपीलार्थी को दिनांक 19.12.2024 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया था।

(अनुलग्नक–1 व 2) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को आदेश जारी किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी दिनांक 10.09.2012 के आदेश के अनुसार अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 संस्कृत के पद पर कार्यरत है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुरा, जिला धौलपुर और जिसके अनुसार उसने कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी का पति विकलांग व्यक्ति हैं और उनकी विकलांगता 40 प्रतिशत तक है। (अनुलग्नक–5) उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जरेला, खंड रूपवास, जिला भरतपुर से बदलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला कचेरा, रूपवास, भरतपुर कर दिया तथा उन्होंने काउंसलिंग किए बिना तथा आस–पास के रिक्त पदों को दर्शाए बिना ही अवैध रूप से नियुक्ति का स्थान बदल दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 06.12.2024 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को लेवल 1 के पद पर नियुक्ति दी गई थी जबकि अपीलार्थी लेवल 2 संस्कृत के पद पर कार्यरत है और प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश के माध्यम से बिना काउंसलिंग किए और साथ ही रिक्त पद दिखाए बिना अपीलार्थी का ब्लॉक बदल दिया है। अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) और दिनांक 19.12.2024 के कार्यमुक्ति आदेश (अनुलग्नक–2) को को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जरेला, ब्लॉक रूपवास, जिला भरतपुर में अध्यापक ग्रेड III लेवल II संस्कृत के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह

निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य